30/9/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी किया जावें। वकील वादी को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर पाया गया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा अनुसार बटवारा तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिस पर किसी भी पक्षकार/खातेदार ने कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के दावा वादीगण अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक/भू.अ./2022/5022 दिनांक 01.08.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्क्री मुर्तीब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)